



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55401

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1839/2026

नीतीश उर्फ सिद्धार्थ उर्फ सेठी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: आदेश कुमार, अमर जीत उपाध्याय,
शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, मेरठ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 333/2026 में दिनांक 31.1.2026 को पारित आदेश को रद्द करने और उसे मुकदमा अपराध संख्या 775/2025 में धारा 69, 115 (2) बी.एन.एस. और धारा 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- सरधना, जिला मेरठ के तहत रिहा करने की मांग की गई है।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह लगभग एक महीने तक पीड़िता से बात करता था। 15.11.2025 को अपीलकर्ता उसे बिनाउली रोड स्थित एक परिसर में ले गया, जहाँ उसने उसकी सहमति के बिना एक कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और कहा कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन अपीलकर्ता ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार है। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग 24 वर्ष है और वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ गई थी और इस दौरान उसने कोई हंगामा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि पीड़िता अपनी सहमति से गई थी। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करती है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलकर्ता 18.11.2025 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता **नीतीश उर्फ सिद्धार्थ उर्फ सेठी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"